

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जून 2016—आषाढ़ 4, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. एफ 1-4-2016-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग, तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय सेवा) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, खण्ड (ख) में, उपनियम (2) का लोप किया जाए.

No. F1-4-2016-VIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Transport Department, Class III (Ministerial Service) Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in clause (b), sub-rule (2) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव.